भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 377
5 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि योग्य भूमि

377. श्री मनोज तिवारीः
डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सिंचित और असिंचित कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश में सिंचित कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है;
(ग) क्या सरकार के पास दिल्ली, झारखंड और बिहार में सिंचित और असिंचित कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने की कोई कार्य योजना है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): 2012-13 से 2021-22 भू उपयोग सांख्यिकी एक झलक (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, वर्ष 2021-22 के दौरान, देश में निवल बुआई क्षेत्र 1,41,007 हजार हेक्टेयर है, जिसमें से 77,916 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। देश में निवल बुआई क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र और निवल असिंचित क्षेत्र का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) से (घ): भारत सरकार दिल्ली, झारखंड और बिहार सहित देश में सिंचाई के तहत क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

1. देश में 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को खेत में पानी की वास्तविक पहुंच को बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और सतत जल संरक्षण प्रथाओं की शुरूआत करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। पीएमकेएसवाई के घटक निम्नानुसार हैं:

(i) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) को जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य देश में राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित चल रही प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर बल देना है।

(ii) हर खेत को पानी (एचकेकेपी) का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर,आरडी और जीआर) द्वारा किया जा रहा है। एचकेकेपी में चार उप-घटक अर्थात् हैं, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीऔरडब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों और भू-जल (जीडब्ल्यू) विकास घटकों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुर्नस्थापना (आरआरआर) शामिल है। आरंभ की गई गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोतों का निर्माण, जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और नवीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण आदि शामिल है।

(iii) वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन भू-संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा देश में वर्षा सिंचित/परती भूमि के विकास के लिए किया जा रहा है। प्रारंभ की गई गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ टीला क्षेत्र सुधार, जल निकासी सुधार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी रोपण, चारागाह विकास, संपत्ति विहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं।
(iv) पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। पीडीएमसी योजना मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई अर्थात् ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 265 कार्य अनुमेय हैं, जिनमें से 182 कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से संबंधित हैं और 182 एनआरएम कार्यों में से 85 कार्य जल से संबंधित हैं। ये कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलवायु परिवर्तन और कार्बन पृथक्करण का समर्थन करते हैं। योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 6409852 जल निकाय जैसे खेत तालाब, कुएं, चेक डैम और सामुदायिक तालाब (जल संचयन और मत्स्य पालन) बनाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, भावी पीढ़ी के लिए जल संचयन और संरक्षण के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन शुरू किया गया है। मिशन के तहत देश के प्रत्येक जिले को कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य सौंपा गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 5.12.2023 को उत्तर के लिए देय लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 377 के भाग (क) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2021-22 के लिए देश में निवल सिंचित क्षेत्र, निवल असिंचित क्षेत्र और निवल बोये गये क्षेत्र का राज्यवार विवरण

(हजार हेक्टेयर)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निवल बोया गया क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	निवल असिंचित क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	6038	2952	3086
अरुणाचल प्रदेश	243	63	180
असम	2749	438	2312
बिहार	5070	3082	1988
छत्तीसगढ	4631	1604	3027
गोवा	127	15	111
गुजरात	9720	5796	3924
हरियाणा	3611	3579	32
हिमाचल प्रदेश	528	111	417
झारखंड	1379	279	1100
कर्नाटक	11166	4920	6246
केरल	2029	403	1626
मध्य प्रदेश	15823	12903	2920
महाराष्ट्र	16590	3103	13487
मणिपुर	393	62	331
मेघालय	269	102	167
मिजोरम	145	16	129
नगालैंड	265	49	216
ओडिशा	4322	1238	3084
पंजाब	4113	4113	
राजस्थान	18130	8924	9206
सिक्किम	77	14	63
तमिलनाडु	4909	2930	1979
तेलंगाना	5625	3376	2249
त्रिपुरा	255	89	166
उत्तराखंड	594	315	278
उत्तर प्रदेश	16096	13941	2155
पश्चिम बंगाल	5281	3127	2154
अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	15	0	15
चंडीगढ़	1	0	1
दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	23	2	21
दिल्ली	22	22	
जम्मू और कश्मीर	733	315	418
लद्दाख	20	20	
लक्ष्द्वीप	2		2
पुदुचेरी	16	14	2
अखिल भारतीय	**141007**	**77916**	**63091**

नोट: '0' 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र से संबंधित है

रिक्त स्थान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से डेटा की अनुपलब्धता या कोई रिपोर्टिंग नहीं दर्शाता है

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

*****